

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1779
(जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मई, 2016 को दिया गया)

सीएसआर व्यय का आयकर मूल्यांकन

1779. श्री आर. के. सिन्हा:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न कंपनियों को सीएसआर के तहत अपने लाभांश का कुछ प्रतिशत खर्च करने के लिए कहती है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश कंपनियां, जो लाभ में चल रही हैं, सीएसआर मद का उपयोग सिर्फ इसलिए नहीं करती कि आयकर अधिनियम में सीएसआर के तहत किया जाने वाला खर्च आयकर के निर्धारण पदाधिकारी अमान्य कर देते हैं; और
- (ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से आयकर अधिनियम में सीएसआर के तहत खर्च को वैध और जायज खर्च मानने का प्रावधान करने के लिए कहा है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरूण जेटली)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक टर्नओवर; या 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक निवल मूल्य; या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी के लिए पूर्ववर्ती तीन वित्त वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य है।

(ख) और (ग): इस मंत्रालय की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। वित्त अधिनियम, 2014 में यह स्पष्ट किया गया है कि सीएसआर पर किया गया व्यय, व्यवसायिक व्यय का हिस्सा नहीं है। जबकि सीएसआर पर किए गए व्यय पर कोई निर्दिष्ट कर छूट नहीं दी गई है, तथापि, विभिन्न कार्याकलापों जैसे ग्रामीण विकास परियोजना, कौशल विकास परियोजना, कृषि विस्तार परियोजना पर किए गए व्यय और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किया गया अंशदान आदि, जो अनुसूची-VII में उल्लिखित हैं, को आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर पहले से ही आयकर छूट प्राप्त है।
